अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 2,772.98 करोड़ की राशि के तीन क्षेत्रों अर्थात ऋण प्रबंधन, श्रमिक प्रबंधन एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान तथा पंजाब क्षेत्र में निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना पर विस्तृत टिप्पणियां और पाँच पृथक टिप्पणियां (जिसमें से दो ₹ 72.28 करोड़ की राशि के फर्जी भुगतान से संबंधित है) शामिल है।

वर्ष 2011-16 के दौरान एफसीआई द्वारा किया गया कुल व्यय 35 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 1,05,355 करोड़ से ₹ 1,42,487 करोड़ हो गया; एफसीआई द्वारा दावा किया गया खाद्य अनुदान 53 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 67,694 करोड़ से 2015-16 में ₹ 1,03,383 करोड़ हो गया; वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान एफसीआई पर ब्याज बोझ 65 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 5,227 करोड़ से ₹ 8,647 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा के बताने पर लेखा में अंतर-शीर्ष समायोजन के रूप में ₹ 1,072 करोड़ तथा आंतरिक शीर्ष समायोजन के रूप में ₹ 1,976.67 करोड़ की राशि को ठीक कर दिया गया।

प्रमुखताएं

इस प्रतिवेदन के प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

ऋण प्रबंधन

- एफसीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष लिया गया अनुदान भारत सरकार से किए गए दावे से कम था, पिछले पाँच वर्षों में औसतन केवल 67 *प्रतिशत* ही अनुदान के दावे को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया जिसकी वजह से वित्त के अन्य महंगे साधनों यथा नकदी ऋण (सीसी), लघु अवधि ऋण आदि से एफसीआई को उधार लेना पड़ा था जिसका परिणाम वर्ष 2011-16 के दौरान ₹ 35,701.81 करोड़ के भारी ब्याज के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से ₹ 2,897.17 करोड़ की राशि बकाया थी।

(पैराग्राफ सं. 2.4)

- प्रत्येक दो तिमाही के बाद दक्षता विश्लेषण करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्देशों का अनुपालन करने में भी एफसीआई विफल रहा। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान पर एफसीआई द्वारा उपयोग किए गए मासिक नकदी ऋण का कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ सं. 2.9)

- एफसीआई की जोखिम प्रबंधन नीति भी निगम की जटील वित्तीय जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरी नहीं कर पाई।

(पैराग्राफ सं. 2.10)

श्रम प्रबंधन तथा प्रोत्साहन राशि

- अधिशेष विभागीय श्रमिको के गैर-तर्कसंगतता, डिपो में महंगे श्रमिकों की तैनाती तथा विभागीय श्रमिको के गैर-पूलिगं के परिणाम स्वरुप ₹ 237.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.2.1 से 3.2.3)

- अभिलेखों के अनुसार विभिन्न डिपो पर श्रमिक प्रतिदिन 105 बैग की तुलना में 998 से लेकर 1776 बैग प्रतिदिन चढ़ाई उतराई करते पाये गये। यह डिपो में परोक्षी श्रम की मौजूदगी का संकेत था जिससे कुछ श्रमिकों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा था, यह एक ऐसी समस्या है जिससे निपटने में एफसीआई सक्षम नहीं हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.2.4)

- लागू कानूनों जैसे कि ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 अंशदायी भविष्य निधि, उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन तथा इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर ₹ 435.18 करोड़ तक का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 3.3.1 से 3.3.4 एवं 3.3.6)

- असंभाव्य ढ़ेर गठन के माध्यम से संदिग्ध अतिरिक्त भुगतान (₹ 12.12 करोड़), एक गतिविधि (मानकीकरण कार्य) को दो या तीन विभिन्न गतिविधियों के रुप में (पुनर्भरण/पुनः बैग भरना तथा तोलना/ढ़ेर लगाना), भराई कार्य का जरूरत से ज्यादा प्रमाणन, लीड दूरी का गलत प्रमाणन आदि का भी पता लगा।

(पैराग्राफ सं. 3.4.1 से 3.4.4)

- डिपो में बुकिंग सह-आउटपुट पर्ची के रख रखाव में अपूर्ण नियंत्रण भी देखा गया जिसने अनियमित कार्यप्रणाली के जोखिम को बढ़ा दिया।

(पैराग्राफ सं. 3.5.1 से 3.5.5)

पंजाब में गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन

- निजी उद्यमियों को गोदामों के निर्माण हेतु संविदा देने में हुई देरी से XI योजना (2007-12) में स्कीम का नगण्य कार्यान्वयन हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.2.1)

- पर्याप्त मात्रा में खाद्यान राज्य सरकार की एजेंसियों/एसजीए के पास खुले क्षेत्रों में पड़ा हुआ था और इस प्रकार ₹ 700.30 करोड़ मूल्य का 4.72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खराब हो गया तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी नहीं किए जाने योग्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, काफी मात्रा में गेहूँ कवर्ड एंड चबूतरा (सीएपी)/कच्चा चबूतरा में असुरक्षित पड़े रहने के बावजूद एफसीआई द्वारा सितंबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान दो जिलों में छह एलएमटी क्षमता को भाड़े से हटा दिया गया।

(पैराग्राफ सं. 4.2.2)

- चूंकि गोदामों के निर्माण के लिए अयोग्य बोलीदाताओं को संविदा प्रदान कर दिया गया, जिससे वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 21.04 करोड़ का अनुचित लाभ निजी उद्यमियों को दिया गया।

(पैराग्राफ सं. 4.3.1)

- रेलवे सिडिंग के बिना गोदामों को लिए जाने की वजह से वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 9.77 करोड़ का हैंडलिंग खर्च आया।

(पैराग्राफ सं. 4.3.2)

- पंजाब खाद्यान अधिप्राप्ति निगम लि. (PUNGRAIN) द्वारा दूरी की गलत माप और जरूरत से ज्यादा दूरी के फलस्वरूप एफसीआई को खाद्यान के परिवहन पर ₹ 8.36 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.3.3)

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ:

i. लेखापरीक्षा के बताने पर वर्ष 2015-16 के दौरान अतिरिक्त/अनियमित भुगतान आदि से संबंधित ₹ 32.18 करोड़ तक की वसूली की गई।

ii. हैडलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान से संबंधित स्थायी निर्देशों/नियमावली के प्रावधानों का पालन न करने की वजह से 2014-15 तक काल्पनिक कार्य हेतु हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को ₹ 23.02 करोड़ का अनुचित भुगतान किया गया था। बाद में प्रतिनियुक्ति आंतरिक लेखापरीक्षा और सतर्कता टीमों ने उसी कॉन्ट्रैक्टर को कुल ₹ 71.75 करोड़ का फर्जी भुगतान तथा इन फर्जी भुगतानों पर ₹ 13.39 करोड़ के ब्याज की हानि की सूचना दी।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

iii. उच्च दर पर भुगतान की वजह से तथा खाद्यान के परिवहन हेतु वास्तविक दूरी की जगह लंबी दूरी के बिल के लिए परिवहन कॉन्ट्रैक्टर को ₹ 14.73 लाख तथा ₹ 37.89 लाख का अतिरिक्त फर्जी भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

iv. खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) वर्ष 2014-15 के दौरान धान की अधिप्राप्ति तथा चावल की आपूर्ति हेतु बोरी की लागत तथा बोरी के अवमूल्यन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार और इसकी एजेंसी को ₹ 24.96 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। एफसीआई की लेखा परीक्षा के बाद ₹ 2.96 करोड़ की वसूली की तथा शेष ₹ 22.00 करोड़ की वसूली अभी भी की जानी है।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

v. एफसीआई ने वर्ष 2013-14 के दौरान खुला बाजार विक्रय योजना के अंतर्गत लागत से कम दर पर गेहूँ थोक उपभोक्ताओं को बेच दिया जिससे ₹ 38.99 करोड़ तक की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

vi. एफसीआई द्वारा कर प्रलेखों के अनुचित संग्रह/रख रखाव के कारण आउटपुट मूल्य वर्धित कर का भुगतान करते समय इनपुट मूल्य वर्धित कर को समायोजित नहीं कर सका और उत्तर प्रदेश में आउटपुट मूल्य वर्धित कर की वजह से ₹ 25.01 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया। इस परिहार्य भुगतान की गैर-वापसी/समायोजन से एफसीआई द्वारा लिए गए ऋण पर ₹ 13.02 करोड़ की राशि के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 5.5)